न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24 / 2021(उदयपुरआर्डर)

1. उदयलाल पिता भीमा जी गुर्जर, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर(राज.)
2. भैरूलाल पिता उदयलाल जी गुर्जर, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. किशनलाल पिता गणेशलाल जी गुर्जर, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. गोपाल पिता गणेशलाल जी गुर्जर, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णयउपखण्डअधिकारी,मावली
दिनांक23.07.2021प्र०सं०23 / 21

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री तुलसीराम डांगीअभिभाषकअपीलान्टगण
2. श्री ओमप्रकाश डागलिया अभि. रे.सं. 1 व 2
3.श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णयदिनांक 16–08–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजियात ग्राम भीमल में स्थित है, जिसके खाता संख्या 55 होकर आराजी नंबर 1357 / 507, 1360 / 477, 478, 481, 503, [illegible], 508, 564, 928 व 967 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:32 IST
Reason: SelfAttested

किता 10 रकबा 9.2916 हैक्टर हैं। उक्त आराजियात में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है, किन्तु मौके पर बंटवारा नहीं होने से केवल मात्र सुविधानुसार ही प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 2 उक्त आराजियात का खातेदार भी नहीं है, फिर भी हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में जबरन दखलन्दाजी कर पक्का निर्माण करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त आराजियात का बिना बंटवारा कराये खुर्द–बुर्द एवं हस्तान्तरित करने पर आमादा हैं। अतः निवेदन किया कि मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 व 2 को इस आशय की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजी नंबर 508 में प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की जमीन पर कोई दखलन्दाजी नहीं करें, खुर्द–बुर्द नहीं करें, पक्का निर्माण नहीं करें, आने–जाने हेतु रास्ता बन्द नहीं करें तथा प्रार्थीगण को शान्ति पूर्ण उपयोग–उपभोग करने देवें।

विपक्षीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है, मात्र राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता गणेशलाल गुर्जर का नाम सहवन से दर्ज हो जाने से गणेशलाल की मृत्यु पश्चात् विरासत से प्रार्थीगण का नाम दर्ज हो गया है। मौके पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वाराउभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 23–07–2021 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्रस्वीकार करविपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 26–08–2021 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश डागलिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:32 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अपीलान्ट नेअधिनस्थ न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अपीलान्ट संख्या 1 एवं उसके भाई गमेरलाल ने दिनांक 15–09–1964 को विवादित आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई फाईडिंग नहीं दी है। अधिनस्थ न्यायालय की यह धारणा सरासर गलत है कि अपीलान्ट/विपक्षी बिना बंटवाड़े अच्छी किस्म की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर उतारू है, जबकि वास्तविकता यह है कि रेस्पोन्डेन्ट का राजस्व रेकार्ड में गलत तरीके से नाम दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है, न ही सुविधा संतुलन रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में है एवं न ही अपूर्णीय क्षति रेस्पोन्डेन्ट को होने वाली है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण को सहखातेदार मानते हुए उनका अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हम अपीलान्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 113, आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 777 एस.सी. एवंआर.आर.टी. 2017 (1) पेज 522 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट निवेदन किया कि विवादित आराजियात मेंरेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा होकर वह विवादित भूमि के सहखातेदार हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने हमारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को देखा। हाल जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 में प्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 सहखातेदार दर्ज हैं। हालांकि अपीलान्ट विवादित आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करना बताते हैं एवं इस बाबत एक रजिस्टर्ड [illegible] दिनांक 15–09–1964

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:32 IST
Reason: SelfAttested

का प्रस्तुत किया है, किन्तु यह भी सही है कि हाल जमाबन्दी में प्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 सहखातेदार दर्ज हैं।प्रार्थीगण का विवादित आराजियात में हक अधिकार है अथवा नहींतथापंजीकृत विक्रय पत्र का प्रकरण पर क्या प्रभाव होगा, इसका निस्तारण तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है, किन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण विवादित आराजियात के सहखातेदार दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस मानते हुए सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में माने हैं एवं इस आधार पर प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार का अपीलान्ट/विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण में जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–07–2021यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:32 IST
Reason: SelfAttested